रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3102] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941
No. 3102] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

का.आ. 3402(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2148 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 5395 (अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार मेघालय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा सत्र न्यायाधीश, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, शिलांग के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे मेघालय राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

S.O. 3402(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 2148 (E) dated 1st September, 2010 and S.O. 5395 (E) dated 25th October, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Meghalaya, hereby designates the Court of Sessions Judge, East Khasi Hills District, Shillong as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Meghalaya.

[F. No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

का.आ. 3403(अ).–राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 950 (अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार उड़ीसा, कटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुर्दा, भुवनेश्वर के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे उड़ीसा राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

S.O. 3403 (E).–In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 950 (E) dated 29th April, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Orissa, Cuttack, hereby designates the Court of District and Sessions Judge, Khurda at Bhubaneshwar as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Orissa.

[F.No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

का.आ. 3404(अ)–राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2145 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 1962(अ), दिनांक 11 जून, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार त्रिपुरा, अगरतला उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा सत्र न्यायाधीश, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे त्रिपुरा राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

S.O. 3404(E).–In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 2145 (E) dated 1st September, 2010 and S.O. 1962 (E) dated the 11th June, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Tripura, Agartala, hereby designates the Court of the Sessions Judge at Agartala, West Tripura as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Tripura.

[F. No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

का.आ. 3405 (अ).–राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2160 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार सिक्किम, गंगटोक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष डिवीजन-1), गंगटोक के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे सिक्किम राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

S.O. 3405 (E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 2160 (E) dated 1st September, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Sikkim, Gangtok, hereby designates the Court of District and Sessions Judge (Special Division-I) at Gangtok as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Sikkim.

[F. No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

का.आ. 3406 (अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3425 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा सी बी आई -1, एस. ए. एस. नगर (मोहाली) के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे पंजाब राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

S.O. 3406 (E).–In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 3425 (E) dated 12th July, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Punjab & Haryana High Court, hereby designates the Court of CBI-I at S.A.S Nagar (Mohali) as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Punjab.

[F. No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

का.आ. 3407 (अ).–राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3426 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा सी बी आई न्यायालय, पंचकूला को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे हरियाणा राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

S.O. 3407 (E)–In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 3426 (E) dated 12th July, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Punjab & Haryana High Court, hereby designates the CBI Court at Panchkula as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Haryana.

[F.No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

का.आ. 3408(अ) – राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3427 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा चंडीगढ़ स्थित सी बी आई न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20 September, 2019

S.O. 3408 (E)–In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 3427 (E) dated 12th July, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Punjab & Haryana High Court, hereby designates the CBI Court at Chandigarh as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Chandigarh.

[F. No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.21 16:01:10 +05'30'